# लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
## निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को उथली बोरिंग तथा पम्पसेट स्थापना हेतु सरकारी सुविधा उपलब्ध है। ग्राम सभा की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन किया जाता है। लघु एवं सीमान्त की परिभाषा एवं पात्रता निम्नवत है।

1— सीमान्त कृषकः— 0.5 से 2.5 एकड़ तक जोत सीमा।

2— लघु कृषकः— 2.5 एकड से अधिक तथा 5 एकड़ तक जोत सीमा।

3— निःशुल्क बोरिंग योजना तथा अन्य किसी बोरिंग योजना से लाभान्वित लाभार्थी पुनः बोरिंग हेतु पात्र नही होगें।

<u>अ— बोरिंग कार्य के लिए अनुमन्य अनुदान, वर्तमान में वास्तविक इकाई लागत या अधिकतम अनुमन्य धनराशि की सीमा निम्नवत है।</u>

1— सामान्य जाति के लघु कृषक के लिए अधिकतम रू0 5000.00।

2— सामान्य जाति के सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम रू0 7000.00।

3— अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/ सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम रू0 10000.00।

चयनित कृषक द्वारा सर्वप्रथम निर्धारित प्रपत्र पर अपना प्रार्थना पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई से अनुमोदन के उपरान्त बोरिंग के लिए आवश्यक आई0एस0आई0 मार्क पी0वी0सी0 पाईप एवं अन्य सामान कृषक द्वारा स्वयं किसी अधिकृत विक्रेता से नगद/उधार क्र किया जाता है तथा अवर अभियन्ता(ल0सिं0) के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बोरिंग हेतु स्थल उपयुक्त पाये जाने पर लागत सीमा के अन्दर अनुदान की धनराशि से बोरिंग कार्य कराया जाता है। बोरिंग लागत सीमा निर्धारत सीमा से अधिक आने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय नगद अथवा श्रम के रूप में कृषक को स्वयं वहन करना पडता है। उसी वित्तीय वर्ष में अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र एवं आई0एस0आई0 वैधता प्रमाण पत्र के साथ कैश मेमों/बिल उपलब्ध कराने पर निर्धारित लागत सीमा के अन्दर सामग्री क्रय पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कृषक को अथवा उसकी सहमति पर विक्रेता को चेक द्वारा भुगतान किया जाता है।

बोरिंग के उपरान्त निर्धारित लागत सीमा में अनुदान की धनराशि बचने की स्थिति में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को अन्य एसेसरीज यथा रिफलेक्स वाल्व, फलेंज आदि के क्रय पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

<u>ब— पम्पसेटः— निःशुल्क बोरिंग पर आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट स्थापित करने के लिए निम्न दरों से अनुदान सुविधा उपलब्ध है।</u>

1— सामान्य जाति के लघु कृषक के लिए अधिकतम रू0 4500.00।

2— सामान्य जाति के सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम रू0 6000.00।

3— अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु सीमान्त कृषक के लिए अधिकतम रू0 9000.00।

निःशुल्क बोरिंग कराने के लिए पम्पसेट का क्रय अनिवार्य नही है, जो कृषक पम्पसेट चाहते है वे पम्पसेट का क्रय ऋण से अथवा नगद कर सकते है।

<u>स— **H.D.P.E. (सिंचाई हेतु काला पाईप)**</u>

नये शासनादेश के अनुसार निःशुल्क बोरिंग के लाभार्थियों को H.D.P.E. पाईप 50 % अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी मात्रा 30—60 मी0 होगी तथा अधिकतम अनुदान रू0 3000 देय होगा।

अधिक जानकारी के लिए अपने विकास खण्ड स्तर पर अवर अभियन्ता(ल0सिं0)/खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से सम्पर्क करें।